

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220011 CG-DL-E-19062020-220011

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1748] No. 1748] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

### विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधायी विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

का.आ. 1964(अ).— केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 60 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क में, -
  - (i) "या दिव्यांग व्यक्तियों" शब्दों के पश्चात् "या कोविड 19 का संदेह होने वाले या उससे प्रभावित व्यक्तियों" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे :
  - (ii) खंड (ङ) में, "80 वर्ष" अंक और शब्द के स्थान पर, "65 वर्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
  - (iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
    - '(च) "कोविड 19 का संदेह होने वाले या उससे प्रभावित व्यक्ति" से ऐसे निर्वाचक अभिप्रेत हैं,—

2684 GI/2020 (1)

- (i) जिनकी किसी सरकारी अस्पताल या कोविड अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल द्वारा कोविड 19 से ग्रस्त के रूप में जांच की गई है ; या
- (ii) जो कोविड 19 के कारण गृह करंतीन या सांस्थानिक करंतीन के अधीन हैं और जिन्हें ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो कि राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रमाणित किया गया है।'।

[फा.सं. एच-11019(6)/2019-वि. II]

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ. 3786(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2019 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Legislative Department)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2020

- S.O. 1964 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 60 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Election Rules, 1961, namely:—
- (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 27A,—
- (i) in clause (aa), after the words "or persons with disability" occurring at the end, the words, letters and figures "or the COVID 19 suspect or affected persons" shall be inserted;
  - (ii) in clause (e), for the figures and word "80 years", the figures and word "65 years" shall be substituted;
  - (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
    - '(f) "COVID 19 suspect or affected persons" means the electors who are-
      - (i) tested as COVID 19 positive by the Government Hospital or the Hospital recognised by the Government as COVID Hospital; or
      - (ii) under home quarantine or institutional quarantine due to COVID 19, and certified by such competent authority, as may be notified by the State Government or Union territory Administration.'.

[F. No. H. 11019(6)/2019-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy

**Footnote**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and were last amended vide number S.O. 3786(E), dated the 22<sup>nd</sup> October, 2019.